



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-02062022-236259
CG-DL-E-02062022-236259

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 283]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जून 2, 2022/ज्येष्ठ 12, 1944

No. 283]

NEW DELHI, THURSDAY, JUNE 2, 2022/JYAISHTHA 12, 1944

भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 जून, 2022

सं. 1-सीए(7)/201/2022.— चार्टर्ड अकाउंटेंट्स विनियम, 1988 का आगे और संशोधन करने के लिए कतिपय विनियमों का निम्नलिखित प्रारूप, जिसे भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान की परिषद् बनाने का प्रस्ताव करती है, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अधिनियम, 1949 (1949 का 38) की धारा 30 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार, ऐसे सभी व्यक्तियों की, जिनकी उससे प्रभावित होने की संभावना है, जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है ; और यह सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप विनियमों पर, उस तारीख से, जिसको भारत के ऐसे राजपत्र की प्रतियां, जिसमें इन प्रारूप विनियमों को प्रकाशित किया जाता है, जनता को उपलब्ध करा दी जाती हैं, तीस दिन की अवधि के अवसान के पश्चात् विचार किया जाएगा;

उक्त प्रारूप विनियमों के संबंध में कोई आक्षेप या सुझाव प्रस्तुत करने का इच्छुक कोई व्यक्ति भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान की परिषद् द्वारा उस पर विचार किए जाने के लिए उसे ऊपर विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर, सचिव, भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान, आईसीएआई भवन, इंद्रप्रस्थ मार्ग, नई दिल्ली -110002 को संबोधित करते हुए अग्रेषित कर सकेगा ;

किसी व्यक्ति से उक्त प्रारूप विनियमों के संबंध में इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि के अवसान से पूर्व प्राप्त किसी आक्षेप या सुझाव पर परिषद् द्वारा विचार किया जाएगा ।

प्रारूप विनियम

- I. (1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम चार्टर्ड अकाउंटेंट (दूसरा संशोधन) विनियम, 2022 है ।
- (2) ये राजपत्र में उनके अंतिम प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे ।

2. चार्टर्ड अकाउंटेंट्स विनियम, 1988 में, -

1. विनियम 5 में, उप-विनियम (1) के खंड (क) के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"परंतु ऐसा कोई व्यक्ति, जिसने विनियम 54 कक के अधीन अपना व्यावहारिक प्रशिक्षण पूरा कर लिया है, तब तक सदस्यों के रजिस्टर में अपना नाम प्रविष्ट करने का हकदार नहीं होगा जब तक कि उसने समय-समय पर परिषद् द्वारा यथा विनिर्दिष्ट अतिरिक्त पात्रता मानदंडों को पूरा नहीं किया हो।"

2. विनियम 9 के उप-विनियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-

"(1) कोई सदस्य, चार्टर्ड अकाउंटेंट के रूप में व्यवसाय करने के लिए पात्र होने के प्रमाण-पत्र के लिए परिषद् को आवेदन कर सकेगा :

परंतु ऐसा कोई व्यक्ति, जिसे किसी भी समय सदस्य के रूप में स्वीकार किया गया है, किसी व्यवसायरत फैलो चार्टर्ड अकाउंटेंट के साथ अर्हता पश्च एक वर्ष के कार्य अनुभव के पूरा हो जाने पर व्यवसाय प्रमाण-पत्र के लिए पात्र होगा :

परंतु यह और कि अर्हता-पश्च एक वर्ष के कार्य अनुभव की अपेक्षा ऐसे सदस्य के लिए लागू नहीं होगी, जिसने ऐसा आवेदन करने की तारीख से तुरंत पूर्ववर्ती पांच वर्ष की अवधि में किसी व्यवसायरत फैलो चार्टर्ड अकाउंटेंट के साथ कम से कम एक वर्ष की अवधि के लिए कार्य किया हो।"

3. विनियम 25ग और 25घ का लोप किया जाएगा।

4. विनियम 25ड में, उप-विनियम (2) के पश्चात् निम्नलिखित उप-विनियम (3) अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"(3) इन विनियमों में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, परिषद्, विनियम 25छ के अधीन फाउंडेशन पाठ्यक्रम हेतु रजिस्ट्रीकरण आरंभ होने के पश्चात्, संस्थान की वेबसाइट पर एक सूचना जारी करते हुए इस विनियम के अधीन फाउंडेशन पाठ्यक्रम के लिए रजिस्ट्रीकरण को बंद कर सकेगी।"

5. विनियम 25च में, उप-विनियम (3) के पश्चात् निम्नलिखित उप-विनियम (4) अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"(4) इन विनियमों में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, परिषद्, विनियम 25ज के अधीन फाउंडेशन परीक्षा आरंभ होने के पश्चात्, इस विनियम के अधीन फाउंडेशन परीक्षा का आयोजन बंद कर सकेगी और अभ्यर्थियों से यह अपेक्षित होगा कि वे विनियम 25ज के अधीन समय-समय पर परिषद् द्वारा अनुमोदित पाठ्यचर्या के अनुसार फाउंडेशन परीक्षा उत्तीर्ण करें।"

6. विनियम 25च के पश्चात्, निम्नलिखित विनियम 25छ और 25ज अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:-

"25छ. फाउंडेशन पाठ्यक्रम के लिए रजिस्ट्रीकरण

(1) किसी भी अभ्यर्थी को तब तक फाउंडेशन पाठ्यक्रम के लिए रजिस्ट्रीकृत नहीं किया जाएगा जब तक कि उसने भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी परीक्षा निकाय द्वारा संचालित कक्षा 10 की परीक्षा या भारत से बाहर केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा उक्त परीक्षा के समतुल्य मानी गई किसी अन्य परीक्षा को उत्तीर्ण न कर लिया हो।

(2) उप-विनियम (1) में अंतर्विष्ट किसी भी बात के होते हुए भी, ऐसा कोई अभ्यर्थी, जिसने इन विनियमों के अधीन पहले ही सामान्य प्रवीणता पाठ्यक्रम या फाउंडेशन पाठ्यक्रम के लिए रजिस्ट्रीकरण करा लिया है, ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो परिषद् द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएं, इन विनियमों के अधीन फाउंडेशन पाठ्यक्रम में संपरिवर्तन के लिए पात्र होगा।

(3) फाउंडेशन पाठ्यक्रम के लिए रजिस्ट्रीकरण, रजिस्ट्रीकरण/संपरिवर्तन की तारीख से केवल चार वर्ष की अवधि के लिए विधिमान्य होगा।

(4) कोई अभ्यर्थी फाउंडेशन पाठ्यक्रम हेतु रजिस्ट्रीकरण के लिए परिषद् द्वारा अनुमोदित प्ररूप में आवेदन के साथ ऐसी फीस का संदाय करेगा, जो समय-समय पर परिषद् द्वारा नियत की जाए और जो पच्चीस हजार रुपये से अधिक नहीं होगी :

परंतु ऐसा कोई अभ्यर्थी, जो भारत से बाहर निवास कर रह रहा है, ऐसी फीस का संदाय करेगा, जो परिषद् द्वारा समय-समय पर नियत की जाए।

25ज. फाउंडेशन परीक्षा में प्रवेश, फीस और पाठ्यचर्या

(1) किसी भी अभ्यर्थी को तब तक फाउंडेशन परीक्षा में नहीं बैठने दिया जाएगा जब तक कि--

(क) वह संस्थान के अध्ययन बोर्ड के साथ उस मास की, जिसमें परीक्षा का आयोजन कराया जाना है, एक तारीख को या उससे पूर्व न्यूनतम चार मास की अवधि के लिए रजिस्ट्रीकृत न हो और उसने ऐसी अन्य अपेक्षाओं का अनुपालन न कर दिया हो, जो समय-समय पर परिषद् द्वारा अवधारित की जाएं ; और

(ख) उसने भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी परीक्षा निकाय द्वारा संचालित उच्चतर माध्यमिक (10+2) की परीक्षा या भारत से बाहर केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेश के प्रयोजन हेतु उक्त परीक्षा के समतुल्य के रूप में मान्यता प्रदान की गई किसी अन्य परीक्षा को उत्तीर्ण न कर लिया हो ।

(2) फाउंडेशन परीक्षा का कोई अभ्यर्थी ऐसी फीस का संदाय करेगा, जो परिषद् द्वारा नियत की जाए और जो किसी भी दशा में दस हजार रुपए से अधिक नहीं होगी :

परंतु ऐसा कोई अभ्यर्थी, जो भारत से बाहर निवास कर रह रहा है, ऐसी फीस का संदाय करेगा, जो परिषद् द्वारा समय-समय पर नियत की जाए ।

(3) फाउंडेशन परीक्षा के किसी अभ्यर्थी की ऐसी पाठ्यचर्या से संबंधित परीक्षा ली जाएगी, जिसे समय-समय पर परिषद् द्वारा अनुमोदित किया जाए ।"

7. विनियम 28घ और 28ङ का लोप किया जाएगा ।

8. विनियम 28च में, उप-विनियम (6) के पश्चात्, निम्नलिखित उप-विनियम (7) अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"(7) इन विनियमों में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, परिषद्, विनियम 28ज के अधीन मध्यवर्ती पाठ्यक्रम हेतु रजिस्ट्रीकरण आरंभ होने के पश्चात्, संस्थान की वेबसाइट पर एक सूचना जारी करते हुए इस विनियम के अधीन मध्यवर्ती पाठ्यक्रम के लिए रजिस्ट्रीकरण को बंद कर सकेगी ।"

9. विनियम 28छ में, उप-विनियम (4) के पश्चात् निम्नलिखित उप-विनियम (5) अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"(5) इन विनियमों में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, परिषद्, विनियम 28झ के अधीन मध्यवर्ती परीक्षा आरंभ होने के पश्चात्, इस विनियम के अधीन मध्यवर्ती परीक्षा का आयोजन बंद कर सकेगी और अभ्यर्थियों से यह अपेक्षित होगा कि वे विनियम 28झ के अधीन समय-समय पर परिषद् द्वारा अनुमोदित पाठ्यचर्या के अनुसार मध्यवर्ती परीक्षा उत्तीर्ण करें ।"

10. विनियम 28छ के पश्चात्, निम्नलिखित विनियम 28ज और 28झ अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :-

"28ज. मध्यवर्ती पाठ्यक्रम के लिए रजिस्ट्रीकरण और फीस

"(1) चार्टर्ड अकाउंटेंसी अभ्यर्थियों के लिए अध्ययन पाठ्यक्रम को मध्यवर्ती पाठ्यक्रम के रूप में नामित किया जाएगा, जो दो समूहों से मिलकर बनेगा, अर्थात् समूह I और समूह II ।

(2) किसी भी अभ्यर्थी को तब तक मध्यवर्ती पाठ्यक्रम के लिए रजिस्ट्रीकृत नहीं किया जाएगा जब तक कि उसने इन विनियमों के अधीन फाउंडेशन परीक्षा और भारत में या भारत से बाहर विधि द्वारा स्थापित किसी परीक्षा निकाय द्वारा संचालित उच्चतर माध्यमिक (10+2) की परीक्षा या केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेश के प्रयोजन हेतु उक्त परीक्षा के समतुल्य के रूप में मान्यता प्रदान की गई किसी अन्य परीक्षा को उत्तीर्ण न कर लिया हो तथा ऐसी अन्य अपेक्षाओं का अनुपालन न कर लिया हो, जो समय-समय पर परिषद् द्वारा विनिश्चित की जाएं :

परंतु ऐसा कोई अभ्यर्थी जिसने इन विनियमों के अधीन प्रवेश परीक्षा या तत्कालीन फाउंडेशन परीक्षा या वृत्तिक शिक्षा (परीक्षा - I) या सामान्य प्रवीणता परीक्षा या फाउंडेशन परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है, ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो परिषद् द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएं, इस विनियम के अधीन मध्यवर्ती पाठ्यक्रम में रजिस्ट्रीकरण के लिए पात्र होगा :

परंतु यह और कि ऐसा कोई अभ्यर्थी, जो पहले ही तत्कालीन मध्यवर्ती या वृत्तिक शिक्षा (पाठ्यक्रम- II) या मध्यवर्ती (वृत्तिक सक्षमता) पाठ्यक्रम या मध्यवर्ती (एकीकृत वृत्तिक सक्षमता) पाठ्यक्रम या इन विनियमों के अधीन मध्यवर्ती पाठ्यक्रम के लिए रजिस्ट्रीकृत था, ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो परिषद् द्वारा निर्दिष्ट की जाएं, इस विनियम के अधीन मध्यवर्ती पाठ्यक्रम में संपरिवर्तन के लिए पात्र होगा ।

(3) उप-विनियम (2) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी विनियम 2(1) के उपखंड (ix) में यथा निर्दिष्ट कोई स्नातक या स्नातकोत्तर अर्हता रखने वाला अभ्यर्थी उस समय मध्यवर्ती पाठ्यक्रम के रजिस्ट्रीकरण हेतु पात्र होगा, यदि ऐसा व्यक्ति--

(क) वाणिज्य में स्नातक या स्नातकोत्तर अर्हता रखता है और जिसने निम्नलिखित विषयों, अर्थात् लेखांकन, संपरीक्षा, व्यापारिक विधि, निगम विधि, अर्थशास्त्र, प्रबंधन (वित्तीय प्रबंधन सहित), कराधान (जिसके अंतर्गत प्रत्यक्ष कर विधि और अप्रत्यक्ष कर विधि भी है), लागत, कारबार प्रशासन या प्रबंध लेखांकन या इन विषयों के शीर्षक के तत्समान भिन्न-भिन्न नामों वाले अन्य ऐसे विषयों, जिन्हें संस्थान के अध्ययन बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया गया है, में से संबद्ध पाठ्यक्रम की संपूर्ण कालावधि में किन्हीं तीन विषयों, जिनके प्रत्येक समिस्टर में न्यूनतम पचास अंक या एक वर्ष में और समग्र रूप से एक सौ या अधिक अंक हैं, का अध्ययन करते हुए किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय (जिसके अंतर्गत मुक्त विश्वविद्यालय भी हैं) द्वारा संचालित परीक्षा में कुल अंकों में से न्यूनतम पचास प्रतिशत अंक या उसके समतुल्य ग्रेड को प्राप्त किया है ; या

(ख) खंड (क) में यथाविनिर्दिष्ट स्नातक या स्नातकोत्तर अर्हता से भिन्न अर्हता रखता है और उसने किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय (जिसके अंतर्गत मुक्त विश्वविद्यालय भी हैं) द्वारा संचालित परीक्षा में कुल अंकों में से न्यूनतम साठ प्रतिशत अंक या उसके समतुल्य ग्रेड को प्राप्त किया है।

स्पष्टीकरण - इस उप-विनियम के प्रयोजन के लिए -

(i) अंकों के प्रतिशत की संगणना के लिए, उन विषयों में प्राप्त अंकों, जिनमें किसी अभ्यर्थी से विश्वविद्यालय (जिसके अंतर्गत मुक्त विश्वविद्यालय भी हैं) द्वारा केवल उत्तीर्ण अंक प्राप्त करने की अपेक्षा की जाती है और जिनमें उच्चतर अंकों के लिए कोई विशेष क्रेडिट प्रदान नहीं किया जाता, पर ध्यान नहीं दिया जाएगा ; और

(ii) आधे या अधिक के किसी भी अर्द्धांक को अगले पूर्णांक के रूप में गणना में लिया जाएगा और आधे अंक से कम के किसी अर्द्धांक पर ध्यान नहीं दिया जाएगा।

(4) उप-विनियम (2) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, ऐसा कोई अभ्यर्थी, जो किसी स्नातक/स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के फाइनल वर्ष का अध्ययन कर रहा है, मध्यवर्ती पाठ्यक्रम हेतु अनंतिम रजिस्ट्रीकरण के लिए पात्र होगा, जिसकी पुष्टि उसके द्वारा मध्यवर्ती परीक्षा में बैठने के लिए आवेदन करने से पूर्व इस प्रभाव का समाधानप्रद सबूत प्रस्तुत किए जाने पर की जाएगी कि उसने इस विनियम के उपविनियम (3) में यथा उपबंधित न्यूनतम अंकों के साथ स्नातक/स्नातकोत्तर परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है :

परन्तु यदि कोई अभ्यर्थी मध्यवर्ती परीक्षा में बैठने के लिए आवेदन करने से पूर्व इस विनियम के उपविनियम (3) में यथा उपबंधित न्यूनतम अंक प्राप्त करने में असफल रहता है तो उसके अनंतिम रजिस्ट्रीकरण को रद्द कर दिया जाएगा और इन विनियमों के प्रयोजन के लिए,--

(i) उसे उसके द्वारा पूरी की गई सैद्धांतिक शिक्षा के लिए कोई क्रेडिट नहीं दिया जाएगा ; और

(ii) परिषद ऐसे किसी अभ्यर्थी से, जो इस विनियम में यथा निर्दिष्ट समाधानप्रद सबूत प्रस्तुत करने में असमर्थ रहा है, आवेदन प्राप्त होने पर उसकी रजिस्ट्रीकरण और ट्यूशन फीस की ऐसी रकम का प्रतिदाय करने की अनुमति दे सकेगी जैसा कि उसके द्वारा समय-समय पर विनिश्चित किया जाए :

परन्तु ऐसे किसी अभ्यर्थी, जिसे इस विनियम के प्रवृत्त होने से पूर्व विनियम 28च के अधीन पहले ही अनंतिम रजिस्ट्रीकरण मंजूर कर दिया गया है, से यह अपेक्षा की जाएगी कि वह ऐसी अवधि, जो परिषद् द्वारा विनिश्चित की जाए और जो फाइनल वर्ष की स्नातक परीक्षा में बैठने की तारीख से छह मास से अधिक की नहीं होगी, के भीतर स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण करने का समाधानप्रद सबूत प्रस्तुत करे :

परन्तु यह और कि यदि कोई अभ्यर्थी पूर्वोक्त अवधि के भीतर सबूत प्रस्तुत करने में असफल रहता है, तो उसके अनंतिम रजिस्ट्रीकरण को रद्द कर दिया जाएगा और इन विनियमों के प्रयोजन के लिए-

(i) उसे उसके द्वारा पूरी की गई सैद्धांतिक शिक्षा के लिए कोई क्रेडिट नहीं दिया जाएगा ; और

(ii) परिषद ऐसे किसी अभ्यर्थी से, जो इस विनियम में यथा निर्दिष्ट समाधानप्रद सबूत प्रस्तुत करने में असमर्थ रहा है, आवेदन प्राप्त होने पर उसकी रजिस्ट्रीकरण और ट्यूशन फीस की ऐसी रकम का प्रतिदाय करने की अनुमति दे सकेगी जैसा कि उसके द्वारा समय-समय पर विनिश्चित किया जाए :

(5) ऐसा कोई अभ्यर्थी, जिसने लागत और संकर्म अकाउंटेंट अधिनियम, 1959 (1959 का 23) के अधीन स्थापित भारतीय लागत अकाउंटेंट्स संस्थान या कंपनी सचिव अधिनियम, 1980 (1980 का 56) के अधीन स्थापित भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा संचालित मध्यवर्ती परीक्षा उत्तीर्ण की है, भी मध्यवर्ती पाठ्यक्रम में रजिस्ट्रीकरण हेतु पात्र होगा।

(6) मध्यवर्ती पाठ्यक्रम के लिए रजिस्ट्रीकृत कोई अभ्यर्थी परिषद द्वारा यथा अनुमोदित प्ररूप में आवेदन के साथ ऐसी फीस का संदाय करेगा, जो परिषद् द्वारा नियत की जाए और जो पच्चीस हजार रुपए से अधिक नहीं होगी :

परंतु ऐसा कोई अभ्यर्थी जो भारत से बाहर निवास कर रहा है, ऐसी फीस का संदाय करेगा, जो समय-समय पर परिषद् द्वारा नियत की जाए।

(7) इस विनियम के अधीन किसी अभ्यर्थी का रजिस्ट्रीकरण, उसके रजिस्ट्रीकरण/संपरिवर्तन की तारीख से पांच वर्ष की अवधि के लिए विधिमान्य होगा :

परंतु कोई अभ्यर्थी उसके द्वारा परिषद् द्वारा अनुमोदित प्ररूप में आवेदन प्रस्तुत किए जाने पर तथा ऐसी फीस का संदाय किए जाने पर, जो परिषद् द्वारा समय-समय पर नियत की जाए, पांच वर्ष की आगे और अवधि के लिए केवल एक बार पुनः विधिमान्यकरण के लिए पात्र होगा।

(8) इस विनियम में अंतर्विष्ट किसी किसी बात के होते हुए भी, मध्यवर्ती पाठ्यक्रम के लिए रजिस्ट्रीकृत किसी अभ्यर्थी के संबंध में यह भी माना जाएगा कि वह कारबार लेखांकन सहबद्ध के लिए भी रजिस्ट्रीकृत है।

28छ. मध्यवर्ती परीक्षा में प्रवेश, फीस और पाठ्यक्रम

[विनियम 28ज के अधीन मध्यवर्ती पाठ्यक्रम के लिए रजिस्ट्रीकृत अभ्यर्थियों को लागू]

(1) किसी भी अभ्यर्थी को तब तक मध्यवर्ती परीक्षा में बैठने नहीं दिया जाएगा जब तक कि वह संस्थान के अध्ययन बोर्ड के साथ रजिस्ट्रीकृत नहीं है और उसने इस प्रभाव का एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया है कि उसने उस मास की पहली तारीख को, जिसमें परीक्षा आयोजित की जानी है, ऐसी अवधि के लिए और ऐसी रीति में अध्ययन पाठ्यक्रम को पूरा किया है, जैसा कि परिषद् द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट किया जाए :

परंतु यह कि कोई अभ्यर्थी, जो विनियम 28ज के उप-विनियम (3) के अधीन मध्यवर्ती पाठ्यक्रम के लिए रजिस्ट्रीकृत है, निम्नलिखित मानदंडों को पूरा करने पर मध्यवर्ती परीक्षा में बैठने के लिए पात्र होगा :-

(क) वह इस प्रभाव का एक प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करता है कि उसने कम से कम आठ मास की अवधि के लिए अध्ययन पाठ्यक्रम पूरा किया है ; और

(ख) उसने मध्यवर्ती परीक्षा में बैठने से पूर्व उक्त विनियम में यथा उपबंधित न्यूनतम अंकों के साथ स्नातक/स्नातकोत्तर परीक्षा उत्तीर्ण करने का समाधानप्रद सबूत प्रस्तुत कर दिया है।

(2) उप-विनियम (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी ऐसा कोई अभ्यर्थी, जो तत्कालीन मध्यवर्ती या वृत्तिक शिक्षा (पाठ्यक्रम- II) या मध्यवर्ती (वृत्तिक सक्षमता) पाठ्यक्रम या मध्यवर्ती (एकीकृत वृत्तिक सक्षमता) पाठ्यक्रम या मध्यवर्ती पाठ्यक्रम हेतु रजिस्ट्रीकृत था, ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो परिषद द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएं, मध्यवर्ती परीक्षा में बैठने के लिए पात्र होगा।

(3) मध्यवर्ती परीक्षा का कोई अभ्यर्थी ऐसी फीस का संदाय करेगा, जो परिषद् द्वारा समय-समय पर नियत की जाए और जो दस हजार रुपये से अधिक नहीं होगी।

परंतु ऐसा कोई अभ्यर्थी, जो भारत से बाहर निवास कर रहा है, ऐसी फीस का संदाय करेगा, जो परिषद् द्वारा समय-समय पर नियत की जाए।

(4) मध्यवर्ती परीक्षा के किसी अभ्यर्थी की परिषद् द्वारा समय-समय पर यथा अनुमोदित पाठ्यचर्या के अनुसार परीक्षा ली जाएगी।"

11. विनियम 29 में, उप-विनियम (2) के पश्चात्, निम्नलिखित उप-विनियम (3) अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"(3) इन विनियमों में अंतर्विष्ट किसी भी बात के होते हुए भी, परिषद, विनियम 29ड के अधीन फाइनल पाठ्यक्रम के लिए रजिस्ट्रीकरण आरंभ होने के पश्चात्, संस्थान की वेबसाइट पर एक सूचना जारी करके इस विनियम के अधीन फाइनल पाठ्यक्रम के लिए रजिस्ट्रीकरण को बंद कर सकेगी।"

12. विनियम 29ख और 29ग का लोप किया जाएगा।

13. विनियम 29घ में, उप-विनियम (2) के पश्चात् निम्नलिखित उप-विनियम (3) अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"(3) इन विनियमों में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, परिषद्, विनियम 29च के अधीन फाइनल परीक्षा आरंभ होने के पश्चात् इस विनियम के अधीन फाइनल परीक्षा के आयोजन को बंद कर सकेगी और अभ्यर्थियों से यह अपेक्षा की जाएगी कि वे विनियम 31(v) के अधीन समय-समय पर परिषद् द्वारा यथा अनुमोदित पाठ्यचर्या के अनुसार फाइनल परीक्षा उत्तीर्ण करें।"

14. विनियम 29घ के पश्चात् निम्नलिखित विनियम 29ड और 29च अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :-

"29ड. फाइनल पाठ्यक्रम के लिए रजिस्ट्रीकरण और फीस

(1) ऐसे किसी अभ्यर्थी से, जिसने इन विनियमों के अधीन मध्यवर्ती परीक्षा उत्तीर्ण की है, यह अपेक्षा की जाएगी कि वह फाइनल पाठ्यक्रम हेतु रजिस्टर करे :

परंतु ऐसा कोई अभ्यर्थी, जिसने इन विनियमों के अधीन आयोजित तत्कालीन मध्यवर्ती परीक्षा या वृत्तिक शिक्षा (परीक्षा-II) या मध्यवर्ती (वृत्तिक सक्षमता) परीक्षा या मध्यवर्ती (एकीकृत वृत्तिक सक्षमता) परीक्षा या मध्यवर्ती परीक्षा उत्तीर्ण की है, किंतु इन विनियमों के प्रवृत्त होने की तारीख को फाइनल पाठ्यक्रम हेतु रजिस्टर नहीं किया है, इन विनियमों के अन्य उपबंधों के अनुपालन के अधीन रहते हुए फाइनल पाठ्यक्रम के लिए रजिस्ट्रीकरण हेतु पात्र होगा :

परंतु यह और कि ऐसा कोई अभ्यर्थी, जो पहले से ही इन विनियमों के अधीन फाइनल पाठ्यक्रम के लिए रजिस्ट्रीकृत है, ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो परिषद् द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएं, फाइनल पाठ्यक्रम में संपरिवर्तन हेतु पात्र होगा।

(2) फाइनल पाठ्यक्रम के लिए रजिस्ट्रीकृत अभ्यर्थी परिषद् द्वारा अनुमोदित प्ररूप में आवेदन के साथ ऐसी फीस का संदाय करेगा, जो परिषद् द्वारा समय-समय पर नियत की जाए और जो चालीस हजार रुपए से अधिक नहीं होगी :

परंतु ऐसा कोई अभ्यर्थी, जो भारत से बाहर निवास कर रहा है, ऐसी फीस का संदाय करेगा, जो परिषद् द्वारा समय-समय पर नियत की जाए।

(3) इस विनियम के अधीन किसी अभ्यर्थी का रजिस्ट्रीकरण, उसके रजिस्ट्रीकरण/संपरिवर्तन की तारीख से दस वर्ष की अवधि के लिए विधिमान्य होगा :

परंतु कोई अभ्यर्थी उसके द्वारा परिषद् द्वारा अनुमोदित प्ररूप में आवेदन प्रस्तुत किए जाने पर तथा ऐसी फीस का संदाय किए जाने पर, जो परिषद् द्वारा समय-समय पर नियत की जाए, दस वर्ष की आगे और अवधि के लिए केवल एक बार पुनः विधिमान्यकरण के लिए पात्र होगा।

29च फाइनल परीक्षा में प्रवेश

[विनियम 31(v) के अधीन परिषद् द्वारा अनुमोदित पाठ्यचर्या के अधीन फाइनल परीक्षा में बैठने वाले अभ्यर्थियों को लागू]

(1) किसी भी अभ्यर्थी को तब तक फाइनल परीक्षा में नहीं बैठने दिया जाएगा जब तक कि-

(i) वह फाइनल पाठ्यक्रम हेतु रजिस्ट्रीकृत न हो और उसने विनियम 28झ के अधीन आयोजित मध्यवर्ती परीक्षा के दोनों समूहों को उत्तीर्ण न किया हो ;

(ii) उसने उस मास की, जिसमें परीक्षा का आयोजन किया जाना है, पहली तारीख से पूर्व सदस्य के रूप में प्रवेश के लिए यथा अपेक्षित कम से कम छह मास के व्यवहारिक प्रशिक्षण को पूरा न किया हो ;

(iii) उसने विनियम 51ड के अधीन अग्रिम सूचना प्रौद्योगिकी और सॉफ्ट कौशलों संबंधी एकीकृत पाठ्यक्रम को सफलतापूर्वक पूरा न कर लिया हो ;

(iv) उसने विनियम 51च के अनुसार स्व-गतिशील ऑनलाइन मॉड्यूलों को उत्तीर्ण न कर लिया हो ; और

(v) उसने ऐसी अन्य अपेक्षाओं को ऐसी रीति में पूरा न कर लिया हो, जो परिषद् द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट की जाएं।

(2) उप-विनियम (1) में अंतर्विष्ट किसी भी बात के होते हुए भी, ऐसे किसी अभ्यर्थी, जिसने इन विनियमों के अधीन आयोजित वृत्तिक शिक्षा (परीक्षा- II) या वृत्तिक सक्षमता परीक्षा या एकीकृत वृत्तिक सक्षमता परीक्षा या मध्यवर्ती (वृत्तिक सक्षमता) परीक्षा या मध्यवर्ती (एकीकृत वृत्तिक सक्षमता) परीक्षा या मध्यवर्ती परीक्षा उत्तीर्ण की है या चार्टर्ड अकाउंटेंट विनियम, 1964 के अधीन मध्यवर्ती परीक्षा या चार्टर्ड अकाउंटेंट विनियम, 1949 के अधीन फाइनल परीक्षा उत्तीर्ण की है या जिसे उन विनियमों के अधीन प्रथम परीक्षा उत्तीर्ण करने से छूट प्रदान की गई थी, को फाइनल परीक्षा में बैठने की अनुमति दी जाएगी परंतु यह कि उसने उस मास की पहली तारीख को, जिसमें परीक्षा का आयोजन किया जाना है, सदस्य के रूप में प्रवेश प्राप्त करने के लिए यथा अपेक्षित व्यवहारिक प्रशिक्षण पूरा कर लिया हो या वह पिछले छह मास से व्यवहारिक प्रशिक्षण पूरा करता रहा हो, जिसके अंतर्गत विनियम 50 के अधीन कोई आधिक्य छुट्टी, यदि कोई हो, भी है और उसने इन विनियमों के अन्य सभी उपबंधों का अनुपालन किया हो।

स्पष्टीकरण—ऐसे किसी अभ्यर्थी से, जिसे इन विनियमों के प्रवृत्त होने से पूर्व फाइनल परीक्षा में बैठने की अनुमति प्रदान की गई थी, यह अपेक्षा की जाएगी कि वह विनियम 51ड के अधीन सूचना प्रौद्योगिकी और साफ्ट कौशलों से संबंधित अग्रिम एकीकृत पाठ्यक्रम को पूरा करे तथा विनियम 51च के अधीन स्व-गतिशील ऑनलाइन मॉड्यूलों को उत्तीर्ण करे तथा संस्थान की सदस्यता हेतु आवेदन करने से पूर्व ऐसी अन्य सभी अपेक्षाओं का ऐसी रीति में अनुपालन करे, जो परिषद् द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट की जाएं।

15. इन विनियमों के विनियम 30 के स्थान पर निम्नलिखित विनियम रखा जाएगा, अर्थात् :-

"30. फाइनल परीक्षा के सभी समूहों या केवल एक समूह में बैठने वाला कोई अभ्यर्थी ऐसी फीस का संदाय करेगा जिसे परिषद् द्वारा समय-समय पर नियत किया जाए और जो दस हजार रुपये से अधिक नहीं होगी :

परंतु ऐसा कोई अभ्यर्थी, जो भारत से बाहर निवास कर रहा है, ऐसी फीस का संदाय करेगा, जो परिषद् द्वारा समय-समय पर नियत की जाए।"

16. विनियम 31 के खंड (ii) और (iii) का लोप किया जाएगा और खंड (iv) के पश्चात् निम्नलिखित खंड (v) अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"(v) विनियम 28ज के अधीन मध्यवर्ती पाठ्यक्रम हेतु नामांकन प्रारंभ होने के पश्चात् समय-समय पर परिषद् द्वारा यथा अनुमोदित पाठ्यचर्या के अनुसार।"

17. विनियम 32 में, "इलेक्ट्रॉनिक रूप से या" शब्दों के पश्चात् "अन्यथा" शब्द अंतःस्थापित किया जाएगा।

18. विनियम 36क का लोप किया जाएगा।

19. विनियम 36ख के उप-विनियम (1) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-विनियम (1) रखा जाएगा, अर्थात् :-

"(1) ऐसे किसी अभ्यर्थी के संबंध में, जिसे विनियम 25च के अधीन फाउंडेशन परीक्षा में बैठने की अनुमति दी गई है, सामान्यतः यह घोषित किया जाएगा कि उसने उक्त परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है यदि वह एक ही प्रयास में प्रत्येक विषय में न्यूनतम चालीस प्रतिशत अंक प्राप्त करता है और सभी विषयों में कुल मिलाकर न्यूनतम पचास प्रतिशत अंक प्राप्त करता है।"

20. विनियम 36ख के पश्चात् निम्नलिखित विनियम 36ग अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"36ग. फाउंडेशन परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए अपेक्षा

[विनियम 25ज के अधीन फाउंडेशन परीक्षा में बैठने वाले अभ्यर्थियों को लागू]

(1) ऐसे किसी अभ्यर्थी के संबंध में, जिसे विनियम 25ज के अधीन फाउंडेशन परीक्षा में बैठने की अनुमति दी गई है, सामान्यतः यह घोषित किया जाएगा कि उसने उक्त परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है यदि वह एक ही प्रयास में प्रत्येक विषय में न्यूनतम पचास प्रतिशत अंक प्राप्त करता है।

(2) परिषद् किसी विषय के प्रश्न-पत्र या प्रश्न-पत्रों में, जिनमें वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न सम्मिलित हैं, ऐसी रीति में, जो समय-समय पर विनिर्दिष्ट की जाए, नकारात्मक अंकन से संबंधित मानदंड को अपना सकेगी।"

21. विनियम 37ग का लोप किया जाएगा।

22. विनियम 37घ में, शीर्षक के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"[विनियम 28छ के अधीन मध्यवर्ती परीक्षा में बैठने वाले अभ्यर्थियों के लिए लागू]" ।

23. विनियम 37घ के पश्चात्, निम्नलिखित विनियम 37ड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"37ड. मध्यवर्ती परीक्षा उत्तीर्ण करने संबंधी अपेक्षाएं

[विनियम 28झ के अधीन मध्यवर्ती परीक्षा में बैठने वाले अभ्यर्थियों के लिए लागू]

(1) कोई अभ्यर्थी समूह I या समूह II में पृथक् रूप से या एक साथ बैठ सकेगा या वह समूह I या समूह II के प्रश्नपत्रों के सेट को सम्मिलित करने वाले किसी यूनिट में बैठ सकेगा ।

(2) किसी अभ्यर्थी को सामान्यतः उस समय मध्यवर्ती परीक्षा को उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थी के रूप में घोषित किया जाएगा यदि वह समूह I और समूह II, दोनों में उत्तीर्ण होता है ।

(3) कोई अभ्यर्थी उस समय कारबार लेखांकन सहबद्ध प्रमाणपत्र के लिए पात्र होगा यदि-

(क) वह मध्यवर्ती परीक्षा के समूह I और समूह II, दोनों को उत्तीर्ण करता है ;

(ख) वह विनियम 51घ के अधीन सूचना प्रौद्योगिकी और सॉफ्ट कौशलों संबंधी एकीकृत पाठ्यक्रम को सफलतापूर्वक पूरा करता है ;

(ग) वह इन विनियमों में यथा उपबंधित व्यावहारिक प्रशिक्षण को पूरा करता है ;

(घ) वह इन विनियमों में यथा उपबंधित स्व-गतिशील ऑनलाइन मॉड्यूलों को सफलतापूर्वक पूरा करता है ;

(ङ) वह ऐसी फीस का संदाय करता है, जो परिषद् द्वारा समय-समय पर नियत की जाए और जो पांच हजार रुपये से अधिक नहीं होगी ;

परंतु ऐसा कोई अभ्यर्थी, जो भारत से बाहर रह रहा है, ऐसी फीस का संदाय करेगा, जो समय-समय पर परिषद् द्वारा नियत की जाए ; और

(च) ऐसा कोई अभ्यर्थी, जिसने इन विनियमों या चार्टर्ड अकाउंटेंट विनियम, 1964 के अधीन या तो मध्यवर्ती परीक्षा या मध्यवर्ती (एकीकृत वृत्तिक सक्षमता) परीक्षा या एकीकृत वृत्तिक सक्षमता परीक्षा या मध्यवर्ती (वृत्तिक सक्षमता) परीक्षा या वृत्तिक सक्षमता परीक्षा या वृत्तिक शिक्षा-II परीक्षा या तत्कालीन मध्यवर्ती परीक्षा उत्तीर्ण की है या जिसने चार्टर्ड अकाउंटेंट विनियम, 1949 के अधीन मध्यवर्ती या प्रथम परीक्षा उत्तीर्ण की है या जिसे उस विनियम के अधीन प्रथम परीक्षा उत्तीर्ण करने से या तो छूट प्रदान की गई थी या जिसे लेखांकन तकनीकी प्रमाणपत्र प्रदान नहीं किया गया था, ऐसी अन्य अपेक्षाओं, जो परिषद् द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट की जाए, के अनुपालन पर कारबार लेखांकन सहबद्ध प्रमाणपत्र हेतु आवेदन करने के लिए पात्र होगा ।

(4) किसी अभ्यर्थी के संबंध में सामान्यतः उस समय यह घोषणा की जाएगी कि उसने एकसाथ दोनों समूहों को उत्तीर्ण कर लिया है, यदि--

(क) वह एक ही प्रयास में समूहों, अर्थात् समूह I और समूह II के प्रत्येक प्रश्न-पत्र में न्यूनतम चालीस प्रतिशत अंक प्राप्त करता है और प्रत्येक समूह के सभी प्रश्न-पत्रों के कुल अंकों के न्यूनतम पचास प्रतिशत अंक प्राप्त करता है ; या

(ख) वह एक ही प्रयास में समूहों, अर्थात् समूह I और समूह II के प्रत्येक प्रश्न-पत्र में न्यूनतम चालीस प्रतिशत अंक प्राप्त करता है और दोनों समूहों के सभी प्रश्न-पत्रों के कुल अंकों के न्यूनतम पचास प्रतिशत अंक प्राप्त करता है ।

(5) किसी अभ्यर्थी के संबंध में, यथास्थिति, यह घोषणा उस समय की जाएगी कि उसने समूह I या समूह II या यूनिट को उत्तीर्ण कर लिया है यदि वह एक ही प्रयास में समूह या यूनिट के प्रत्येक प्रश्न-पत्र में न्यूनतम चालीस प्रतिशत अंक प्राप्त करता है और उस समूह या यूनिट के सभी प्रश्न-पत्रों के कुल अंकों के न्यूनतम पचास प्रतिशत अंक प्राप्त करता है ।

(6) ऐसा कोई अभ्यर्थी, जिसने इन विनियमों के अधीन आयोजित मध्यवर्ती परीक्षा में दोनों समूहों में से किसी एक समूह को उत्तीर्ण किया है किंतु दोनों समूहों को उत्तीर्ण नहीं किया है या जिसने मध्यवर्ती (एकीकृत वृत्तिक सक्षमता) परीक्षा या एकीकृत वृत्तिक सक्षमता परीक्षा या मध्यवर्ती (वृत्तिक सक्षमता) परीक्षा या वृत्तिक शिक्षा (परीक्षा-II) या तत्कालीन मध्यवर्ती परीक्षा को उत्तीर्ण किया है, उस समय उसके उपयोग न किए गए अवसर या अवसरों के लिए तत्समान प्रश्न-पत्र या प्रश्न-पत्रों से छूट के लिए हकदार होगा, यदि तत्समान प्रश्न-पत्र परिषद् द्वारा अनुमोदित नई पाठ्यचर्या में विद्यमान है ।

(7) परिषद् किसी अभ्यर्थी को किसी प्रश्न-पत्र या प्रश्न-पत्रों में छूट प्रदान किए जाने को जारी रखने के लिए दिशानिर्देश विरचित कर सकेगी यदि ऐसी कोई छूट पूर्व में इन विनियमों के अधीन आयोजित मध्यवर्ती परीक्षा में उपयोग न किए गए तत्समान प्रश्न-पत्र या प्रश्न-पत्रों में छूट के अवसर या अवसरों, जिनमें उसने छूट अर्जित की है, यदि तत्समान प्रश्न-पत्र विनियम 28अ के उपविनियम (4) के अधीन परिषद् द्वारा अनुमोदित नई पाठ्यचर्या में विद्यमान है। ऐसे तत्समान प्रश्न-पत्र या प्रश्न-पत्रों की, जिन्हें उत्तीर्ण करने में वह असफल रहा है, परीक्षाओं में बैठने पर उसे उक्त परीक्षाओं में उस समय उत्तीर्ण घोषित किया जाएगा यदि वह एक प्रयास में ऐसे तत्समान प्रश्न-पत्र या प्रश्न-पत्रों में, जिनमें वह पूर्व में उत्तीर्ण होने में असफल रहा था, न्यूनतम चालीस प्रतिशत अंक प्राप्त करता है और समूह के सभी प्रश्न-पत्रों के कुल अंकों के न्यूनतम पचास प्रतिशत अंकों को प्राप्त करता है, जिसके अंतर्गत ऐसे प्रश्न-पत्र या प्रश्न-पत्रों के अंक भी हैं, जिनमें उसे पूर्व में परिषद् द्वारा छूट प्रदान की गई थी।

(8) उप-विनियम (1) से (5) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी कोई अभ्यर्थी, जो किसी समूह या यूनिट में सम्मिलित सभी प्रश्न-पत्रों की परीक्षाओं में बैठा है और वह एक या अधिक प्रश्न-पत्रों में अनुत्तीर्ण हुआ है, जो किसी समूह में सम्मिलित है किंतु उसने उस समूह के किसी प्रश्न-पत्र या किन्हीं प्रश्न-पत्रों में न्यूनतम साठ प्रतिशत अंक प्राप्त किए हैं, ऐसे प्रश्न-पत्र या प्रश्न-पत्रों की, जिनमें उसने साठ प्रतिशत से कम अंक प्राप्त किए हैं, आगामी तीन परीक्षाओं में किसी एक या अधिक परीक्षाओं में बैठने के लिए पात्र होगा। उसे उस समूह या यूनिट में उत्तीर्ण घोषित किया जाएगा यदि वह एक ही प्रयास में प्रत्येक प्रश्न-पत्र में न्यूनतम चालीस प्रतिशत अंक प्राप्त करता है और उस समूह या यूनिट के सभी प्रश्न-पत्रों के कुल अंकों के न्यूनतम पचास प्रतिशत अंकों को प्राप्त करता है, जिनमें ऐसे प्रश्न-पत्र भी सम्मिलित हैं, जिनमें उसने ऊपर निर्दिष्ट की गई पूर्ववर्ती परीक्षा में न्यूनतम साठ प्रतिशत अंक प्राप्त किए थे। वह उस समूह या यूनिट के शेष प्रश्न-पत्र या प्रश्न-पत्रों में तब तक आगे किसी और छूट के लिए पात्र नहीं होगा जब तक कि उसने उस समूह या यूनिट में उसे पहले से मंजूर की गई छूट का पूर्ण फायदा न उठा लिया हो।

(9) यदि किसी अभ्यर्थी ने उप विनियम (8) के अधीन उसे मंजूर की गई छूट का पूर्ण फायदा उठा लिया है और वह उक्त समूह या यूनिट को उत्तीर्ण करने में सफल नहीं हो सका है तो वह पश्चातवर्ती परीक्षाओं में उक्त छूट को जारी रखने का विकल्प ले सकेगा। तथापि, ऐसी किसी दशा में ऐसे अभ्यर्थी से यह अपेक्षा की जाएगी कि वह उस समूह या यूनिट के शेष प्रश्न-पत्रों में से प्रत्येक में न्यूनतम पचास प्रतिशत अंक प्राप्त करे ताकि उसे उस समूह या यूनिट में उत्तीर्ण घोषित किया जा सके।

(10) परिषद् ऐसे किसी प्रश्न-पत्र या प्रश्न-पत्रों में, जिनमें वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न सम्मिलित होते हैं, ऐसी रीति में नकारात्मक अंकन के मानदंड को अपना सकेगी, जैसा कि समय-समय पर विनिर्दिष्ट किया जाए।"

24. विनियम 38ख और 38ग का लोप किया जाएगा।

25. विनियम 38घ में, शीर्षक के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"[विनियम 31(iv) के अधीन परिषद् द्वारा अनुमोदित पाठ्यचर्या के अधीन फाइनल परीक्षा में बैठने वाले अभ्यर्थियों के लिए लागू]"।

26. विनियम 38घ के पश्चात्, निम्नलिखित विनियम 38ङ अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"[विनियम 31(v) के अधीन परिषद् द्वारा अनुमोदित पाठ्यचर्या के अधीन फाइनल परीक्षा में बैठने वाले अभ्यर्थियों के लिए लागू]"।

(1) कोई अभ्यर्थी समूह I या समूह II की परीक्षाओं या किसी ऐसे यूनिट की परीक्षाओं में, जिसमें एकसाथ समूह I या समूह II के प्रश्न-पत्रों के सेट सम्मिलित हैं या किसी एक समूह/यूनिट की एक परीक्षा में बैठ सकेगा और साथ ही शेष समूह/यूनिट की परीक्षाओं में बैठ सकेगा तथा उसे सामान्यतः उस समय फाइनल परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थी के रूप में घोषित किया जाएगा यदि वह दोनों समूहों को उत्तीर्ण कर लेता है।

(2) किसी अभ्यर्थी के संबंध में सामान्यतः उस समय यह घोषित किया जाएगा कि उसने, यथास्थिति, दोनों समूहों/यूनिटों को एकसाथ उत्तीर्ण कर लिया है, यदि-

(क) वह एक ही प्रयास में समूहों/यूनिटों के प्रत्येक प्रश्न-पत्र में न्यूनतम चालीस प्रतिशत अंक प्राप्त करता है और प्रत्येक समूह/यूनिट के सभी प्रश्न-पत्रों के न्यूनतम पचास प्रतिशत अंकों को प्राप्त करता है; या

(ख) वह दोनों समूह/यूनिटों के प्रत्येक प्रश्न-पत्र में एक ही प्रयास में न्यूनतम चालीस प्रतिशत अंक प्राप्त करता है और दोनों समूहों/यूनिटों के सभी प्रश्न-पत्रों के अंकों के कुल योग के न्यूनतम पचास प्रतिशत अंकों को प्राप्त करता है।

(3) किसी अभ्यर्थी को किसी समूह/यूनिट में उस समय उत्तीर्ण घोषित किया जाएगा यदि वह एक ही प्रयास में उस समूह/यूनिट के प्रत्येक प्रश्न-पत्र में न्यूनतम चालीस प्रतिशत अंकों को प्राप्त करता है और उस समूह/यूनिट के सभी प्रश्न-पत्रों के कुल अंकों के न्यूनतम पचास प्रतिशत अंकों को प्राप्त करता है।

(4) ऐसा कोई अभ्यर्थी, जिसने विनियम 31 के खंड (iv) के अधीन परिषद् द्वारा अनुमोदित पाठ्यचर्या के अधीन फाइनल परीक्षा के किसी एक और न कि दोनों समूहों/यूनिटों को उत्तीर्ण किया है या जिसने चार्टर्ड अकाउंटेंट विनियम, 1988 की अनुसूची 'ख' के पैरा 3 या पैरा 3क के अधीन पाठ्यचर्या के अनुसार फाइनल परीक्षा या सुसंगत समय पर प्रवृत्त चार्टर्ड अकाउंटेंट विनियम, 1964 की अनुसूची खख के पैरा 3 के अधीन फाइनल परीक्षा (1 जनवरी 1985 के पश्चात् दो समूहों/यूनिटों संबंधी स्कीम) को उत्तीर्ण किया है, उस विशिष्ट समूह/यूनिट में छूट के लिए पात्र होगा और उससे यह अपेक्षित होगा कि वह फाइनल परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए शेष समूह/यूनिट की परीक्षा में बैठे और उसे उत्तीर्ण करे।

(5) परिषद् किसी अभ्यर्थी को किसी प्रश्न-पत्र या प्रश्न-पत्रों में छूट प्रदान किए जाने को जारी रखने के लिए दिशानिर्देश विरचित कर सकेगी यदि ऐसी कोई छूट पूर्व में विनियम 31 के खंड (iv) के अधीन आयोजित परीक्षा में उपयोग न किए गए तत्समान प्रश्न-पत्र या प्रश्न-पत्रों में छूट के अवसर या अवसरों, जिनमें उसने छूट अर्जित की है, यदि तत्समान प्रश्न-पत्र विनियम 31(v) के अधीन परिषद् द्वारा अनुमोदित फाइनल परीक्षा की नई पाठ्यचर्या में विद्यमान है। ऐसे तत्समान प्रश्न-पत्र या प्रश्न-पत्रों की, जिन्हें उत्तीर्ण करने में वह असफल रहा है, परीक्षाओं में बैठने पर उसे उक्त परीक्षाओं में उस समय उत्तीर्ण घोषित किया जाएगा यदि वह एक प्रयास में ऐसे तत्समान प्रश्न-पत्र या प्रश्न-पत्रों में, जिनमें वह पूर्व में उत्तीर्ण होने में असफल रहा था, न्यूनतम चालीस प्रतिशत अंक प्राप्त करता है और समूह के सभी प्रश्न-पत्रों के कुल अंकों के न्यूनतम पचास प्रतिशत अंकों को प्राप्त करता है, जिसके अंतर्गत ऐसे प्रश्न-पत्र या प्रश्न-पत्रों के अंक भी हैं, जिनमें उसे पूर्व में परिषद् द्वारा छूट प्रदान की गई थी।

(6) उप-विनियम (1) से (5) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी कोई अभ्यर्थी, जो किसी समूह या यूनिट में सम्मिलित सभी प्रश्न-पत्रों की परीक्षाओं में बैठा है और वह एक या अधिक प्रश्न-पत्रों में अनुत्तीर्ण हुआ है, जो किसी समूह में सम्मिलित है किंतु उसने उस समूह के किसी प्रश्न-पत्र या किन्हीं प्रश्न-पत्रों में न्यूनतम साठ प्रतिशत अंक प्राप्त किए हैं, ऐसे प्रश्न-पत्र या प्रश्न-पत्रों की, जिनमें उसने साठ प्रतिशत से कम अंक प्राप्त किए हैं, आगामी तीन परीक्षाओं में किसी एक या अधिक परीक्षाओं में बैठने के लिए पात्र होगा। उसे उस समूह या यूनिट में उत्तीर्ण घोषित किया जाएगा यदि वह एक ही प्रयास में प्रत्येक प्रश्न-पत्र में न्यूनतम चालीस प्रतिशत अंक प्राप्त करता है और उस समूह या यूनिट के सभी प्रश्न-पत्रों के कुल अंकों के न्यूनतम पचास प्रतिशत अंकों को प्राप्त करता है, जिनमें ऐसे प्रश्न-पत्र भी सम्मिलित हैं, जिनमें उसने ऊपर निर्दिष्ट की गई पूर्ववर्ती परीक्षा में न्यूनतम साठ प्रतिशत अंक प्राप्त किए थे। वह उस समूह या यूनिट के शेष प्रश्न-पत्र या प्रश्न-पत्रों में तब तक आगे किसी और छूट के लिए पात्र नहीं होगा जब तक कि उसने उस समूह या यूनिट में उसे पहले से मंजूर की गई छूट का पूर्ण फायदा न उठा लिया हो।

(7) यदि किसी अभ्यर्थी ने उप विनियम (6) के अधीन उसे मंजूर की गई छूट का पूर्ण फायदा उठा लिया है और वह उक्त समूह या यूनिट को उत्तीर्ण करने में सफल नहीं हो सका है तो वह पश्चातवर्ती परीक्षाओं में उक्त छूट को जारी रखने का विकल्प ले सकेगा। तथापि, ऐसी किसी दशा में ऐसे अभ्यर्थी से यह अपेक्षा की जाएगी कि वह उस समूह या यूनिट के शेष प्रश्न-पत्रों में से प्रत्येक में न्यूनतम पचास प्रतिशत अंक प्राप्त करे ताकि उसे उस समूह या यूनिट में उत्तीर्ण घोषित किया जा सके।

(8) परिषद् ऐसे किसी प्रश्न-पत्र या प्रश्न-पत्रों में, जिनमें वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न सम्मिलित होते हैं, ऐसी रीति में नकारात्मक अंकन के मानदंड को अपना सकेगी, जैसा कि समय-समय पर विनिर्दिष्ट किया जाए।"

27. विनियम 39 के उप-विनियम (1) में, खंड (क) के स्थान पर निम्नलिखित खंड (क) रखा जाएगा, अर्थात्:-

"(क) प्रत्येक परीक्षा के परिणाम को संस्थान की वेबसाइट पर उपलब्ध कराया जाएगा, जिसमें यह उपदर्शित किया जाएगा कि क्या कोई अभ्यर्थी उक्त परीक्षा में सफल रहा है अथवा असफल रहा है;"

28. विनियम 40 में, उप-विनियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपविनियम (1) रखा जाएगा, अर्थात् :-

"(1) किसी ऐसे अभ्यर्थी को, जिसने इन विनियमों के अधीन आयोजित मध्यवर्ती (एकीकृत वृत्तिक सक्षमता) परीक्षा, मध्यवर्ती परीक्षा या फाइनल परीक्षा उत्तीर्ण की है, परिषद् द्वारा अनुमोदित प्ररूप में इस प्रभाव का एक प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा :

परंतु परिषद् किसी अभ्यर्थी को ऐसा प्रमाणपत्र प्रदान करने से इंकार कर सकेगी, जिसने फाइनल परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है किंतु इन विनियमों के अन्य ऐसे उपबंधों का अनुपालन नहीं किया है, जिनका अनुपालन संस्थान का सदस्य बनने के लिए अनिवार्य है :

परंतु यह और कि कोई अभ्यर्थी परिषद् द्वारा समय-समय पर यथाविनिर्दिष्ट मानदंडों को पूरा करके कारबार लेखांकन सहबद्ध प्रमाणपत्र हेतु आवेदन कर सकेगा।"

29. विनियम 45 के उप-विनियम (1) में,-

- (i) खंड (क) में, "विनियम 43" शब्द और अंकों के पश्चात्, "को ध्यान में रखते हुए" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे;
- (ii) उप-विनियम (1) के खंड (ख)(i) में, "विनियम 28 झ" शब्दों, अंकों और अक्षर के पश्चात्, "या विनियम 28छ के अधीन आयोजित मध्यवर्ती परीक्षा के दोनों समूहों" शब्द, अंक और अक्षर अंतःस्थापित किए जाएंगे।

30. विनियम 48 के उप-विनियम (1) में, विद्यमान सारणी के स्थान पर निम्नलिखित सारणी रखी जाएगी, अर्थात् :-

"सारणी

आर्टिकल सहायक की सेवा के सामान्य स्थान का वर्गीकरण	प्रथम वर्ष के प्रशिक्षण के दौरान	दूसरे वर्ष के प्रशिक्षण के दौरान	तीसरे वर्ष के प्रशिक्षण के दौरान
(1)	(2)	(3)	(4)
(i) बीस लाख और अधिक की जनसंख्या वाले शहर/नगर	रु.4000/-	रु.5000/-	रु.6000/-
(ii) पांच लाख और उससे अधिक किंतु बीस लाख से कम की जनसंख्या वाले शहर/नगर	रु.3000/-	रु.4000/-	रु.5000/-
(iii) पांच लाख से कम की जनसंख्या वाले शहर/नगर	रु.2000/-	रु.3000/-	रु.4000/-

31. विनियम 50 में,-

- (i) खंड (ii) में, "तीन वर्ष" शब्दों के स्थान पर "दो वर्ष" शब्द रखे जाएंगे ;
- (ii) खंड (ii) के परंतुक के स्थान पर निम्नलिखित परंतुक रखा जाएगा, अर्थात् :-

"परंतु ऐसा कोई अभ्यर्थी, जिसे चार्टर्ड अकाउंटेंट (दूसरा संशोधन) विनियम, 2022 के प्रवृत्त होने से पूर्व तीन वर्ष की अवधि के लिए आर्टिकल सहायक के रूप में रजिस्टर किया गया था, प्रशिक्षण के जारी रहने में आए किसी व्यवधान पर ध्यान न देते हुए इन विनियमों के अधीन निष्पादित आर्टिकल विलेख के अनुसार व्यावहारिक प्रशिक्षण की शेष अवधि को जारी रखने और उसे पूरा करने के लिए पात्र होगा।"

32. विनियम 51 में,-

- (i) उप-विनियम (1) में, "मध्यवर्ती परीक्षा" शब्दों के पश्चात् "इन विनियमों के अधीन" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे तथा "अठारह मास" शब्दों के स्थान पर "बारह मास" शब्द रखे जाएंगे ;
- (ii) उप-विनियम (4) और (9) में, "अठारह मास" शब्दों के स्थान पर "बारह मास" शब्द रखे जाएंगे ;
- (iii) उप-विनियम (11) में, "औद्योगिक प्रशिक्षण" शब्दों के पश्चात्, "न्यूनतम पंद्रह हजार रुपये प्रति मास के अधीन रहते हुए" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे ;
- (iv) उप-विनियम (11) के पश्चात्, निम्नलिखित उप-विनियम (12) अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"12. इस विनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी ऐसा कोई आर्टिकल सहायक, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट (दूसरा संशोधन) विनियम, 2022 के प्रवृत्त होने की तारीख को या उससे पूर्व पहले ही औद्योगिक प्रशिक्षण प्राप्त कर रहा है, उपविनियम (6) के अधीन निष्पादित प्रशिक्षण करार के अनुसार औद्योगिक प्रशिक्षण की शेष अवधि को जारी रखने और पूरा करने के लिए पात्र होगा।"

33. विनियम 51घ में, "मध्यवर्ती पाठ्यक्रम" शब्दों के पश्चात्, "या तो" शब्द और शब्दों और अंकों के पश्चात्, "या विनियम 28ज के अधीन, यथास्थिति," शब्द, अंक और अक्षर अंतःस्थापित किए जाएंगे /

34. विनियम 51ड में, "अंतिम दो वर्षों" शब्दों के स्थान पर, "अवधि" शब्द और "निरंतरता में किसी भी व्यवधान के बिना" शब्दों के स्थान पर "और फाइनल परीक्षा में बैठने से पूर्व" शब्द रखे जाएंगे ;

35. विनियम 51ड के पश्चात्, निम्नलिखित विनियम 51च अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"51च स्व:गतिशील ऑनलाइन माँड्यूल

(1) ऐसे किसी अभ्यर्थी, जिसने मध्यवर्ती परीक्षा के दोनों समूहों को उत्तीर्ण कर लिया है, से यह अपेक्षा की जाएगी कि वह उतनी संख्या में माँड्यूलों को सम्मिलित करने वाले और ऐसी रीति में, जो परिषद् द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट की जाए, स्व:गतिशील आनलाइन माँड्यूलों को पूरा करेगा और उन्हें उत्तीर्ण करेगा।

(2) ऐसे किसी अभ्यर्थी के संबंध में उस समय यह घोषणा की जाएगी कि उसने स्व:गतिशील आनलाइन माँड्यूलों को उत्तीर्ण कर लिया है यदि वह प्रत्येक माँड्यूल में न्यूनतम पचास प्रतिशत अंक प्राप्त करता है।"

36. विनियम 54 के उप-विनियम (5) में, "अठारह" शब्द के स्थान पर, "बारह" शब्द रखा जाएगा।

37. विनियम 54 के पश्चात् निम्नलिखित विनियम 54क अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"54क. ऐसे अभ्यर्थी का, जो भारत से बाहर निवास कर रहा है, भारत से बाहर लेखांकन संस्थानों या निकायों के पात्र सदस्य के अधीन व्यावहारिक प्रशिक्षण

ऐसा कोई अभ्यर्थी, जो भारत से बाहर निवास कर रहा है, भारत से बाहर अंतर्राष्ट्रीय अकाउंटेंट्स फेडरेशन द्वारा मान्यताप्राप्त किसी अन्य लेखांकन संस्थानों या निकायों के पात्र सदस्यों के अधीन ऐसी रीति में, जो परिषद् द्वारा अवधारित की जाए, व्यावहारिक प्रशिक्षण कर सकेगा।"

38. विनियम 56 के उप-विनियम (1) के पहले परंतुक के स्थान पर निम्नलिखित परंतुक रखा जाएगा, अर्थात्:-

"परंतु ऐसे प्रशिक्षण के पहले वर्ष में, इस प्रकार नियोजित आर्टिकलों के, आर्टिकलड सहायक और उसके प्रधान के बीच करार द्वारा नियोजन को समाप्त किया जा सकेगा। प्रशिक्षण के दूसरे वर्ष के दौरान, आर्टिकलों के नियोजन की समाप्ति को उस समय अनुमति प्रदान की जाएगी यदि आर्टिकलड सहायक औद्योगिक प्रशिक्षण का विकल्प लेता है या आपवादिक परिस्थितियों या स्थितियों के अधीन ऐसा किया जा सकेगा, जैसा कि परिषद् द्वारा विनिश्चित किया जाए।"

39. विनियम 59 में, -

(i) उप-विनियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपविनियम (1) रखा जाएगा, अर्थात् :-

"(1) कोई आर्टिकलड सहायक अपने व्यावहारिक प्रशिक्षण के प्रत्येक वर्ष में बारह दिन की छुट्टी के लिए पात्र होगा।";

(ii) उप-विनियम (2), (4) और (5) का लोप किया जाएगा ;

(iii) उप-विनियम (7) में, -

(क) स्पष्टीकरण (1) में, "सूचना प्रौद्योगिकी प्रशिक्षण संबंधी पाठ्यक्रम और साधारण प्रबंध और संसूचना कौशलों संबंधी पाठ्यक्रम" शब्दों के स्थान पर "विनियम 51ड के अधीन पाठ्यक्रम" शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे ;

(ख) स्पष्टीकरण (2) का लोप किया जाएगा ;

(iv) उप-विनियम (7) के पश्चात्, निम्नलिखित उप-विनियम (8) अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"(8) ऐसा कोई आर्टिकलड सहायक, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट (दूसरा संशोधन) विनियम, 2022 के प्रवृत्त होने पर या उससे पूर्व पहले से रजिस्ट्रीकृत है, इस विनियम के ऐसे उपबंधों से शासित होता रहेगा, जो उसके संशोधन से पूर्व प्रवृत्त थे और साथ ही वह इन विनियमों के अधीन निष्पादित आर्टिकल विलेख अनुसार भी शासित होगा।"

सीए. (डॉ.) जय कुमार बत्रा, सचिव

[विज्ञापन III/4/असा./103/2022-23]

टिप्पण : मूल विनियम, भारत के राजपत्र, असाधारण, तारीख 1 जून, 1988 को अधिसूचना संख्या 1-सीए(7)134/88, तारीख 1 जून, 1988 के द्वारा प्रकाशित किए गए थे और इनमें अंतिम संशोधन अधिसूचना संख्या 1-सीए(7)/198/2021 के माध्यम से किया गया था, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, तारीख 7 मार्च, 2022 में प्रकाशित हुआ था।

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd June, 2022

No. 1-CA(7)/201/2022.—The following draft of certain regulations further to amend the Chartered Accountants Regulations, 1988, which the Council of the Institute of Chartered Accountants of India proposes to make, is hereby published, as required by sub-section (3) of section 30 of the Chartered Accountants Act, 1949 (38 of 1949) for the information of all persons likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft regulation shall be taken into consideration after the expiry of a period of thirty days from the date on which the copies of the Gazette of India, in which these draft regulations are published, are made available to the public;

Any person desiring to make any objection or suggestion in respect of the said draft regulations, may forward the same to the Council of the Institute of Chartered Accountants of India within the period so specified addressed to the Secretary, the Institute of Chartered Accountants of India, ICAI Bhawan, Indraprastha Marg, New Delhi – 110 002;

Any objection or suggestion which may be received from any person with respect to the said draft regulations before the expiry of the period so specified shall be taken into consideration by the Council.

Draft Regulations

I. (1) These regulations may be called the Chartered Accountants (2nd Amendment) Regulations, 2022.

(2) They shall come into force on the date of their final publication in the Official Gazette.

II. In the Chartered Accountants Regulations, 1988, -

1. In Regulation 5, after clause (a) of sub-regulation (1), the following proviso shall be inserted, namely,-

“Provided a person who has completed his practical training under regulation 54AA shall not be entitled to have his name entered in the register of Member until and unless he has fulfilled the additional eligibility criteria as specified by the Council from time to time”;

2. In Regulation 9, for sub-regulation (1), the following shall be substituted, namely :-

“(1) A member may apply to the Council for a certificate entitling him to practise as a chartered accountant.

Provided that a person who has been admitted as a member at any point of time shall be eligible for certificate of practice on completion of one year of post qualification work experience with a fellow Chartered Accountant in Practice.

Provided further that the requirement of one year post qualification work experience shall not be applicable for a member who has worked for a minimum period of one year with a fellow Chartered Accountant in Practice in the immediately preceding five years before the date of making such application.”

3. Regulations 25C and 25D shall be omitted;

4. In Regulation 25E, after for sub-regulation (2), the following sub-regulation (3) shall be inserted, namely :-

“(3) Notwithstanding anything contained in these regulations, the Council may, after the commencement of registration for the Foundation Course under regulation 25G, discontinue registration of the Foundation Course under this regulation by notice in the website of the Institute.”

5. In Regulation 25F, after for sub-regulation (3), the following sub-regulation (4) shall be inserted, namely :-

“(4) Notwithstanding anything contained in these regulations, the Council may, after the commencement of the Foundation Examination under Regulation 25H, discontinue holding the Foundation Examination under this regulation and the candidates shall be required to pass the Foundation Examination as per the syllabus approved by the Council from time to time under regulation 25H.”;

6. After Regulation 25F, the following regulations 25G and 25H shall be inserted, namely :-

“25G. Registration for the Foundation Course

(1) No candidate shall be registered for the Foundation Course unless he has passed the Class 10th Examination conducted by an examining body constituted by law in India or outside India an examination recognised by the Central Government or the State Government as equivalent thereto.

(2) Notwithstanding anything contained in sub-regulation (1), a candidate who was already registered for Common Proficiency Course or Foundation Course under these regulations shall be eligible for conversion to Foundation Course under this regulation subject to such conditions as may be specified by the Council.

(3) The registration for Foundation Course shall be valid only for a period of four years from the date of registration / conversion.

(4) A candidate shall pay such fee, as may be fixed by the Council from time to time, which shall not exceed twenty-five thousand rupees, along with an application in the form approved by the Council for registration to the Foundation Course.

Provided a candidate who is residing outside India shall pay such fees as may be fixed by the Council from time to time.

25H. Admission to the Foundation Examination, Fee and Syllabus

(1) No candidate shall be admitted to the Foundation Examination unless he -

(a) is registered with the Board of Studies of the Institute for a minimum period of four months on or before the 1st day of month in which the examination is held and has complied with such other requirements as may be decided by the Council from time to time; and

(b) has appeared in the Senior Secondary (10+2) examination conducted by an examining body constituted by law in India or outside India an examination recognised by the Central Government or the State Government as equivalent thereto for the purpose of admission to graduation course.

(2) A candidate for the Foundation examination shall pay such fees, as may be fixed by the Council, which shall in any case not exceed ten thousand rupees.

Provided a candidate who is residing outside India shall pay such fees as may be fixed by the Council from time to time.

(3) A candidate for the Foundation examination shall be examined in the syllabus approved by the Council from time to time.”;

7. Regulations 28D and 28E shall be omitted;

8. In regulation 28F, after sub-regulation (6), the following sub-regulation (7), shall be inserted, namely :-

“(7) Notwithstanding anything contained in these regulations, the Council may, after the commencement of registration for the Intermediate Course under regulation 28H, discontinue registration for the Intermediate Course under this regulation by notice in the website of the Institute.”

9. In regulation 28G, after sub-regulation (4), the following sub-regulation (5), shall be inserted, namely :-

“(5) Notwithstanding anything contained in these regulations, the Council may, after the commencement of Intermediate Examination under regulation 28I, discontinue holding the Intermediate Examination under this regulation and the candidates shall be required to pass the Intermediate Examination as per the syllabus approved by the Council from time to time as per regulation 28I.”;

10. After Regulation 28G, the following regulations 28H and 25I shall be inserted, namely :-

“28H. Registration for Intermediate Course and Fees

“(1) The study course for the chartered accountancy candidates shall be named as Intermediate Course, which shall be composed of two Groups viz. Group I and Group II.

(2) No candidate shall be registered for the Intermediate Course unless he has passed the Foundation Examination under these regulations and Senior Secondary (10+2) examination conducted by an examining

body constituted by law in India or outside India or an examination recognised by the Central Government or the State Government as equivalent thereto for the purpose of admission to graduation course and has complied with such other requirements as may be decided by the Council from time to time.

Provided that a candidate who has passed the Entrance Examination or erstwhile Foundation Examination or Professional Education (Examination – I) or Common Proficiency Test or Foundation Examination under these regulations shall be eligible for registration to Intermediate Course under this regulation subject to such conditions as may be specified by the Council.

Provided further that a candidate who was already registered for erstwhile Intermediate or Professional Education (Course-II) or Intermediate (Professional Competence) Course or the Intermediate (Integrated Professional Competence) Course or the Intermediate Course under these regulations shall be eligible for conversion to Intermediate Course under this regulation subject to such conditions as may be specified by the Council.

(3) Notwithstanding anything contained in sub-regulation (2), a graduate or post graduate as referred to in sub-clause (ix) of regulation 2(1) shall be eligible for registration to Intermediate Course, if such person is a –

(a) graduate or post graduate in commerce having secured in aggregate a minimum of fifty five per cent. of the total marks or its equivalent grade in the examination conducted by any recognised university (including Open University) by studying any three papers each carrying a minimum of fifty marks in a semester or year and cumulatively hundred or more marks over the entire duration of the concerned course, out of the subjects i.e., Accounting, Auditing, Mercantile laws, Corporate laws, Economics, Management (including Financial Management), Taxation (including Direct Tax Laws and Indirect Tax Laws), Costing, Business Administration or Management Accounting or similar to the title of these papers with different nomenclatures, as approved by the Board of Studies of the Institute; or

(b) graduate or post graduate other than those referred to in clause (a), having secured in aggregate a minimum of sixty per cent. of the total marks or its equivalent grade in the examination conducted by any recognised university (including Open University).

Explanation—For the purpose of this sub-regulation -

(i) for calculating the percentage of marks, the marks secured in subjects in which a person is required by the University (including Open University) to obtain only pass marks and for which no special credit is given for higher marks, shall be ignored; and

(ii) any fraction of half or more shall be rounded up to the next whole number and any fraction of less than half number shall be ignored.

(4) Notwithstanding anything contained in sub-regulation (2), a candidate who is pursuing the final year of graduation / post graduation course shall be eligible for provisional registration to the Intermediate Course which shall be confirmed only on submission of satisfactory proof of having passed the graduation / post graduation examination with the minimum marks as provided in sub-regulation (3) of this regulation before making the application for admission to Intermediate Examination;

Provided further that if candidates fail to secure minimum marks as provided in sub-regulation (3) of this regulation before making the application for admission to Intermediate Examination, his provisional registration shall be cancelled and for the purpose of these regulations –

(i) no credit shall be given for the theoretical education undergone; and

(ii) the Council may on receipt of an application from a candidate who is unable to produce the satisfactory proof referred to in this regulation, permit refund of such amount of registration and tuition fee, as may be decided by it from time to time.

Provided that a candidate who has already been granted the provisional registration under regulation 28F on or before the coming into force of this regulation shall be required to submit the satisfactory proof of having passed the graduation examination within such period not exceeding six months as may be decided by the Council, from the date of appearance in the final year graduation examination.

Provided further that if candidates fails to produce the proof within the aforesaid period, his provisional registration shall be cancelled and for the purpose of these regulations –

- (i) no credit shall be given for the theoretical education undergone; and
- (ii) the Council may on receipt of an application from a candidate who is unable to produce the satisfactory proof referred to in this regulation, permit refund of such amount of registration and tuition fee, as may be decided by it from time to time.

(5) A candidate who has passed the Intermediate examination conducted by the Institute of Cost Accountants of India set up under the Cost and Works Accountants Act, 1959 (23 of 1959) or by the Institute of Company Secretaries of India set up under the Company Secretaries Act, 1980 (56 of 1980) shall also be eligible for registration to Intermediate Course:

(6) A candidate for registration for Intermediate Course shall pay such fees as may be fixed by the Council which shall not exceed twenty-five thousand rupees along with his application in the form as may be approved by the Council.

Provided a candidate who is residing outside India shall pay such fees as may be fixed by the Council from time to time.

(7) The registration of a candidate under this regulation shall be valid for a period of five years from the date of registration/conversion

Provided that a candidate shall be eligible for a one time re-validation for a further period of five years on his making an application in the form approved by the Council and on payment of such fee as may be fixed by the Council from time to time.

(8) Notwithstanding anything contained in this regulation, a candidate registered for Intermediate Course shall also be treated as having registered for-Business Accounting Associate also.

28I. Admission to the Intermediate Examination, Fees and Syllabus

[Applicable to candidates registered for Intermediate Course under regulation 28H]

(1) No candidate shall be admitted to the Intermediate Examination unless he is registered with the Board of Studies of the Institute and produces a certificate to the effect that he has undergone a study course for such period and in such manner as may be specified by the Council from time to time as on the first day of the month in which the examination is held:

Provided that a candidate who is registered for the Intermediate Course under sub-regulation (3) of regulation 28H shall be eligible for admission to the Intermediate examination on fulfilling of the following criteria:-

- (a) produce a certificate to the effect that he has undergone a study course for a period not less than eight months, and;
- (b) submission of satisfactory proof of having passed the graduation / post graduation examination with the minimum marks as provided in said regulation before making the application for admission to Intermediate Examination

(2) Notwithstanding anything contained in sub-regulation (1), a candidate who was registered for the erstwhile Intermediate or Professional Education (Course-II) or Intermediate (Professional Competence) Course or the Intermediate (Integrated Professional Competence) Course or the Intermediate Course shall be eligible for admission to the Intermediate Examination subject to such conditions as specified by the Council.

(3) A candidate for the Intermediate examination shall pay such fees, as may be fixed by the Council from time to time, which shall not exceed ten thousand rupees.

Provided a candidate who is residing outside India shall pay such fees as may be fixed by the Council from time to time.

(4) A candidate for the Intermediate Examination, shall be examined as per the syllabus approved by the Council from time to time.”

11. In Regulation 29, - after sub-regulation (2), the following sub-regulation (3) shall be inserted, namely :-

“(3) Notwithstanding anything contained in these regulations, the Council may, after the commencement of registration for the Final Course under regulation 29E, discontinue registration for the Final Course under this regulation by notice in the website of the Institute.”

12. Regulations 29B and 29C shall be omitted;

13. In Regulation 29D, after sub-regulation (2), the following sub-regulation (3) shall be inserted, namely,-

“(3) Notwithstanding anything contained in these regulations, the Council may, after the commencement of the Final Examination under Regulation 29F, discontinue holding the Final Examination under this regulation and the candidates shall be required to pass the Final Examination as per the syllabus approved by the Council from time to time under regulation 31(v).”;

14. After Regulation 29D, the following regulations 29E and 29F shall be inserted, namely :-

“29E. Registration for Final Course and fees

(1) A candidate who has passed the Intermediate examination under these regulations shall be required to register for the Final course:

Provided that a candidate who has passed the erstwhile Intermediate Examination or Professional Education (Examination-II) or Intermediate (Professional Competence) Examination or the Intermediate (Integrated Professional Competence) Examination or the Intermediate Examination held under these regulations but has not registered for Final Course on the date of coming into force of these regulations shall be eligible for registration to the Final Course subject to compliance with other provisions of these regulations.

Provided further that a candidate who is already registered for Final Course under these regulations shall be eligible for conversion to Final Course subject to such conditions as may be specified by the Council.

(2) A candidate for registration to the Final Course shall pay such fee as may be fixed by the Council from time to time which shall not exceed forty thousand rupees along with an application in the Form approved by the Council.

Provided a candidate who is residing outside India shall pay such fees as may be fixed by the Council from time to time.

(3) The registration of a candidate under this regulation shall be valid for a period of ten years from the date of registration/conversion

Provided that a candidate shall be eligible for re-validation for a further period of ten years on his making an application in the form approved by the Council and on payment of such fee as may be fixed by the Council from time to time.

29F Admission to Final Examination

[Applicable to candidates appearing in Final Examination under the syllabus approved by the Council under regulation 31(v)]

(1) No candidate shall be admitted to the Final Examination unless he –

- (i) is registered for the Final Course and has passed both the Groups of the Intermediate Examination held under regulation 28I; and
- (ii) has completed the practical training as required for admission as a member at least six months before the 1st day of the month in which the examination is held; and
- (iii) has successfully completed advanced Integrated Course on Information Technology and Soft Skills under regulation 51E; and
- (iv) has passed the self paced online modules as per regulation 51F; and
- (v) has complied with such other requirements in such manner as may be specified by the Council from time to time.

(2) Notwithstanding anything contained in sub-regulation (1), a candidate who has passed the Professional Education (Examination-II) or the Professional Competence Examination or the Integrated Professional Competence Examination or the Intermediate (Professional Competence) Examination or Intermediate

(Integrated Professional Competence) Examination or the Intermediate Examination held under these Regulations or Intermediate Examination under the Chartered Accountants Regulations, 1964 or the Intermediate or the first examination under the Chartered Accountants Regulations, 1949, or was exempted from passing the first examination under those regulations shall be admitted to the Final examination provided that he has completed the practical training as required for admission as a member or has been serving the last six months of practical training, including excess leave, if any, under regulation 50 on the first day of the month in which the examination is held and has complied with other provisions of these regulations.

Explanation. - A candidate who has been admitted to the Final Examination before coming into force of these regulations shall be required to complete the Advanced Integrated Course on Information Technology and Soft Skills under regulation 51E and to pass the self-paced online modules under regulation 51F and has complied with such other requirement in such manner as may be specified by the Council from time to time before applying for membership of the Institute.

15. In regulation 30, for regulation 30, the following regulation shall be substituted, namely,-

“A candidate for admission to all the groups or only one group of the Final examination shall pay such fee as may be fixed by the Council from time to time which shall not exceed ten thousand rupees.”;

Provided a candidate who is residing outside India shall pay such fees as may be fixed by the Council from time to time.

16. In regulation 31, clauses (ii) and (iii) shall be omitted and after clause (iv), the following clause (v) shall be inserted, namely :-

“(v) as per the syllabus approved by the Council from time to time after commencement of enrolment to Intermediate Course under regulation 28H.

17. In regulation 32, after the words “electronically or” the words “otherwise” shall be inserted.

18. Regulation 36A shall be omitted.;

19. In regulation 36B, -for sub-regulation (1), the following sub-regulation (1), shall be substituted, namely,-

“(1) A candidate admitted to the Foundation Examination under Regulation 25F shall ordinarily be declared to have passed the examination if he obtains at one sitting a minimum of forty per cent. marks in each paper and a minimum of fifty per cent. marks in the aggregate of all the papers.”;

20. After regulation 36B, the following regulation 36C shall be inserted, namely,-

“36C. Requirement for passing the Foundation Examination

[Applicable to candidates appearing in Foundation Examination under Regulation 25H]

(1) A candidate admitted to the Foundation Examination under Regulation 25H shall ordinarily be declared to have passed the examination if he obtains at one sitting a minimum of fifty per cent marks in each paper.

(2) The Council may adopt the criteria of negative marking in a paper or papers having objective type questions in such manner as may be specified by it from time to time.”;

21. Regulation 37C shall be omitted;

22. In regulation 37D, after the heading the following shall be inserted, namely,-

“[Applicable to candidates who will be appearing in Intermediate Examination under Regulation 28G]”

23. After regulation 37D, the following regulation 37E shall be inserted, namely,-

“37E. Requirements for passing the Intermediate Examination

[Applicable to candidates appearing in Intermediate Examination under Regulation 28I]

(1) A candidate may appear in Group I or Group II, separately or simultaneously or in a Unit comprising of a set of papers of Group I or Group II.

(2) A candidate shall ordinarily be declared to have passed the Intermediate Examination, if he passes in both Group I and Group II.

(3) A candidate, shall be eligible for Business Accounting Associate Certificate if he –

- (a) passes both Group I and Group II of Intermediate Examination; and
- (b) successfully completes Integrated Course on Information Technology and Soft Skills under regulation 51D; and
- (c) completes the practical training as provided in these regulations; and
- (d) successfully completes the self paced online modules as provided in these regulations; and
- (e) pay such fees as may be decided by the Council from time to time which shall not exceed Rs five thousand.

Provided a candidate who is residing outside India shall pay such fees as may be fixed by the Council from time to time.

(f) A candidate, who has passed either the Intermediate Examination or Intermediate (Integrated Professional Competence) Examination or Integrated Professional Competence Examination or Intermediate (Professional Competence) Examination or Professional Competence Examination or Professional Education-II Examination or erstwhile Intermediate Examination under these regulations or the Chartered Accountants Regulations, 1964 or Intermediate or the first examination under the Chartered Accountants Regulations, 1949 or was exempted from passing the first examination under that regulation have either been granted or not granted the Accounting Technician Certificate shall be eligible for making an application for Business Accounting Associate Certificate on compliance with such other requirements as may be specified by the Council from time to time.

(4) A candidate shall ordinarily be declared to have passed in both the Groups simultaneously, if he –

- (a) secures at one sitting a minimum of forty per cent. marks in each paper of each of the Groups, viz., Group I and Group II, and minimum of fifty per cent. marks in the aggregate of all the papers of each of the Groups; or
- (b) secures at one sitting a minimum of forty per cent. marks in each paper of both the Groups, viz., Group I and Group II, and a minimum of fifty per cent. marks in the aggregate of all the papers of both the Groups taken together.

(5) A candidate shall be declared to have passed in Group I or Group II or Unit, as the case may be, if he secures at one sitting a minimum of forty per cent. marks in each paper of the Group or Unit and a minimum of fifty per cent. marks in the aggregate of all the papers of that Group or Unit.

(6) A candidate, who has passed in any one but not in both the groups either of the Intermediate Examination held under these regulations or Intermediate (Integrated Professional Competence) Examination or Integrated Professional Competence Examination or Intermediate (Professional Competence) Examination or Professional Education (Examination-II) or of the erstwhile Intermediate Examination, shall be eligible for exemption in the corresponding paper or papers for the unexpired chance or chances, if the corresponding paper or papers exists in the new syllabus approved by the Council.

(7) The Council may frame guidelines to continue to award exemption in a paper or papers to a candidate, granted earlier in the Intermediate Examination held under these regulations for the unexpired chance or chances of the exemption in the corresponding paper or papers, in which he has secured exemption if the corresponding paper or papers exists in the new syllabus approved by the Council under sub-regulation (4) of regulation 28I. On appearing in the examination of the corresponding paper or papers in which he had failed, he shall be declared to have passed the examination if he secures at one sitting a minimum of forty per cent. marks in the corresponding paper or papers in which he had failed earlier and a minimum of fifty per cent. marks in the aggregate of all the papers of the Group including the marks of the paper or papers in which he had earlier been granted exemption by the Council.

(8) Notwithstanding anything contained in sub-regulations (1) to (5), a candidate who has appeared in all the papers comprised in a Group or Unit and fails in one or more papers comprised in a Group but secures a minimum of sixty per cent. marks in any paper or papers of that Group shall be eligible to appear at any one or more of the next three following examinations in the paper or papers in which he secured less than sixty per cent. marks. He shall be declared to have passed in that Group or Unit if he secures at one sitting a minimum of forty per cent. marks in each of such papers and a minimum of fifty per cent. of the total marks of all papers of that Group or Unit including the paper or papers in which he had secured a minimum

of sixty per cent. marks in the earlier examination referred to above. He shall not be eligible for any further exemption in the remaining paper or papers of that Group or Unit until he has exhausted the exemption already granted to him in that Group or Unit.

(9) If a candidate has exhausted the exemption granted to him under sub-regulation (8) and he was not able to pass the said Group or Unit, he may opt for the continuing of said exemption to the subsequent examinations. However, in such a case, such candidate shall be required to obtain a minimum of fifty per cent marks in each of the remaining paper/s of that Group or Unit in order to declare him to have passed in that Group or Unit.

(10) The Council may adopt the criteria of negative marking in a paper or papers having objective type questions in such manner as may be specified by it from time to time.”;

24. Regulations 38B and 38C shall be omitted;

25. In regulation 38D, after the heading, the following shall be inserted, namely,-

“[Applicable to candidates appearing in Final Examination under the syllabus approved by the Council under regulation 31 (iv)]”

26. After regulation 38D, the following regulation 38E, shall be inserted, namely, -

“[Applicable to candidates appearing in Final Examination under the syllabus approved by the Council under regulation 31 (v)]

(1) A candidate may appear in Group I or Group II or in a Unit comprising of a set of papers of Group I or Group II simultaneously or one Group/ Unit in one examination and the remaining Group / Unit and shall ordinarily be declared to have passed the Final Examination if he passes in both the Groups.

(2) A candidate shall ordinarily be declared to have passed in both the Groups/Units as the case may be simultaneously, if he –

(a) secures at one sitting a minimum of forty per cent. marks in each paper of each of the Groups/ Units and minimum of fifty per cent. marks in the aggregate of all the papers of each of the Groups/ Units; or

(b) secures at one sitting a minimum of forty per cent. marks in each paper of both the Groups/Units and a minimum of fifty per cent. marks in the aggregate of all the papers of both the Groups/Units taken together.

(3) A candidate shall be declared to have passed in a Group/Unit if he secures at one sitting a minimum of forty per cent. marks in each paper of the Group/Unit and a minimum of fifty per cent. marks in the aggregate of all the papers of that Group/Unit.

(4) A candidate who has passed in any one but not in both the groups/Units of the Final Examination under the syllabus approved by the Council under clause (iv) of regulation 31 or of the Final Examination as per the syllabus under paragraph 3 or 3A of Schedule ‘B’ to the Chartered Accountants Regulations, 1988 or paragraph 3 of Schedule ‘BB’ to the Chartered Accountants Regulations, 1964 (two Groups/Units scheme after January 1, 1985) enforced at the relevant time shall be eligible for exemption in that particular Group/Unit and shall be required to appear and pass in the remaining Group/Unit in order to pass the Final Examination.

(5) The Council may frame guidelines to continue to award exemption in a paper or papers to a candidate, granted earlier under the syllabus approved under clause (iv) of regulation 31 for the unexpired chance or chances of the exemption in the corresponding paper or papers in which he had secured exemption, if the corresponding paper or papers exist in the new syllabus of the Final Examination approved by the Council under regulation 31(v). On appearing in the examination of the corresponding paper or papers in which he had failed, he shall be declared to have passed the examination, if he secures at one sitting a minimum of forty per cent. marks in the corresponding paper or papers in which he had failed earlier and a minimum of fifty per cent. marks in the aggregate of all the papers of the Group/Unit including the marks of the paper or papers in which he had earlier been granted exemption by the Council.

(6) Notwithstanding anything contained in sub-regulations (1) to (5), a candidate who has appeared in all the papers comprised in a Group/Unit and fails in one or more papers comprised in a Group/Unit but secures a minimum of sixty per cent. marks in any paper or papers of that Group/Unit shall be eligible to appear at any one or more of the immediately next three following examinations in the paper or papers in which he secured less than sixty per cent. marks. He shall be declared to have passed in that Group/Unit, if he secures at one sitting a minimum of forty per cent. marks in each of such papers and a minimum of fifty

per cent. of the total marks of all papers of that Group/Unit including the paper or papers in which he had secured a minimum of sixty per cent. marks in the earlier examination referred to above. He shall not be eligible for any further exemption in the remaining paper or papers of that Group/Unit until he has exhausted the exemption already granted to him in that Group/Unit]

(7) If a candidate has exhausted the exemption granted to him under sub-regulation (6) and he was not able to pass the said Group/Unit, he may opt for the continuing of said exemption to the subsequent examinations. However, in such a case, such candidate shall be required to obtain a minimum of fifty per cent marks in each of the remaining paper/s of that Group/Unit in order to declare him to have passed in that Group/Unit.

(8) The Council may adopt the criteria of negative marking in a paper or papers having objective type questions in such manner as may be specified by it from time to time.”;

27. In regulation 39, in sub-regulation (1), for clause (a), the following clause (a) shall be substituted, namely,-

“(a) The result of each examination indicating whether a candidate has been successful or unsuccessful in the said examination shall be made available on the website of the Institute;”;

28. In regulation 40, for sub-regulation (1), the following shall be substituted, namely,-

“(1) A candidate who has passed the Intermediate (Integrated Professional Competence) Examination, Intermediate Examination or Final Examination held under these regulations shall be granted a certificate to that effect in the Form approved by the Council.

Provided that the Council may refuse to grant such certificate to a candidate who has passed the final examination but has not complied with other provisions of these regulations which are required to be complied with for becoming a member of the Institute.

Provided further that a candidate may apply for Business Accounting Associate Certificate on fulfilment of the criteria as specified by the Council from time to time.”;

29. In regulation 45, in sub-regulation (1),-

- (i) In clause (a), after the word and figures “regulation 43,”, the words “having regard to” shall be inserted;
- (ii) In clause (b)(i) of sub-regulation (1), after the words and figure “regulation 28G”, the words and figure “or both the Groups of Intermediate Examination held under regulation 28I” shall be inserted.;

30. In regulation 48, in sub-regulation (1), for the Table, the following Table shall be substituted, namely,-

“Table

Classification of the Normal place of service of the articulated assistant	During the first year of training	During the second year of training	During the third year of training
(2)	(2)	(3)	(4)
(i) Cities/Towns having population of twenty lakhs and above	Rs.4000/-	Rs.5000/-	Rs.6000/-
(ii) Cities/Towns having population of five lakhs and above but less than twenty lakhs	Rs.3000/-	Rs.4000/-	Rs.5000/-
(iii) Cities/Towns having a population of less than five lakhs	Rs.2000/-	Rs.3000/-	Rs.4000/-

31. In regulation 50,-

- (i) In clause (ii), for the words “three years”, the words “two years” shall be substituted;
- (ii) For the proviso to clause (ii), the following proviso shall be substituted, namely, -

“PROVIDED that a candidate who was registered as an articled assistant for a period of three years before coming into force the Chartered Accountants (2nd Amendments) Regulations, 2022 shall be eligible to continue and complete the remaining period of practical training as per the deed of articles executed under these regulations irrespective of any break in the continuity of training.”

32. In regulation 51,-

- (i) In sub-regulation (1), after the words “Intermediate examination” the words “under these regulations” shall be inserted and for the words “eighteen months”, the words “twelve months” shall be substituted;
- (ii) In sub-regulation (4) and (9), for the words “eighteen months”, the words “twelve months” shall be substituted;
- (iii) In sub-regulation (11), after the words, “industrial training”, the words “ subject to a minimum of rupees fifteen thousand per month” shall be inserted;
- (iv) After sub-regulation (11), the following sub-regulation (12), shall be inserted, namely,-

“(12) Notwithstanding anything contained in this regulation, an articled assistant who is already undergoing industrial training on or before the coming into force of the Chartered Accountants (2nd Amendments) Regulations, 2022 shall be eligible to continue and complete the remaining period of industrial training as per agreement of training entered into under sub-regulation (6).”

33. In regulation 51D, after the words “Intermediate Course”, the word “either” and after the words and figure, the words and figure “or under regulation 28H, as the case may be” shall be inserted.

34. In regulation 51E, for the words “last two years”, the word “period” and for the words “without any break in continuity” the words “and before appearing in the Final examination” shall be substituted;

35. After regulation 51E, the following regulation 51F, shall be inserted, namely,-

“51F. Self paced online modules

“(1) A candidate who has passed both the Groups of the Intermediate Examination shall be required to undergo and pass self paced online modules consisting of such number of modules and in such manner as may be specified by the Council from time to time.

(2) A candidate shall be declared to have passed in the self paced modules if he obtains a minimum of fifty per cent marks in each module.”

36. In regulation 54, in sub-regulation (5), for the word “eighteen”, the word “twelve” shall be substituted;

37. After regulation 54A, the following regulation 54AA shall be inserted, namely,-

“54AA. Practical Training of a candidate who is residing outside India under eligible members of Accountancy Institutions or Bodies outside India

A candidate who is residing outside India may undergo the practical training under eligible members of such other accounting institutions or bodies outside India recognized by the International Federation of Accountants in such manner as may be determined by the Council.”;

38. In regulation 56, for first proviso to sub-regulation (1), the following proviso shall be substituted, namely, -

“Provided that in the first year of such training, the articles so engaged may, by agreement between the articled assistant and his principal, be terminated. During the second year of training, the termination of articles shall be permitted if the articled assistant opts for industrial training or under such exceptional circumstances or conditions, as may be decided by the Council.’

39. In regulation 59,-

- (i) For sub-regulation (1), the following shall be substituted, namely,-

“(1) An articled assistant shall be eligible for leave of twelve days in each year of his practical training.

- (ii) Sub-regulations (2), 4) and (5) shall be omitted;
- (iii) In sub-regulation (7),-

(a) In Explanation (1), for the words “Course on Information Technology Training, and Course on General Management and Communication Skills: the words “Course under regulation 51E” shall be substituted;

(b) Explanation (2) shall be omitted

(iv) After sub-regulation (7), the following sub-regulation (8), shall be inserted, namely,-

“(8) An articulated assistant who is already registered on or before the coming into force of the Chartered Accountants (2nd Amendments) Regulations, 2022 shall continue to be governed by the provisions of this regulation which were in force prior to their amendment and as per the deed of articles executed under these regulations. “

CA. (Dr.) JAI KUMAR BATRA, Secy.

[ADVT.-III/4/Exty./103/2022-23]

Note : The principal regulations were published in the Gazette of India, Extraordinary, dated the 1st June, 1988 vide Notification number 1-CA(7)/134/88 dated 1st June, 1988 and last amended vide Notification No. 1-CA(7)/198/2021 published in the Gazette of India, Extraordinary dated 7th March, 2022